निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 41/2025
दायरा दिनांकः– 02.06.2025
निर्णय दिनांकः– 24.12.2025

उनवान

1. परमानन्द पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी ग्राम जैपला तहसील छवडा
2. रूपनारायण पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड निवासी ग्राम जैपला तहसील छवडा जिला बारां।

..........प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छवडा जिला बारां (राज0)

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 24.12.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सोमेश गालव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल जैपला तहसील छवड़ा की जमावंदी सम्वत 2058–2061 मे खाता संख्या 215 के खसरा नम्बर 211 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। जिसमे प्रार्थी क्रम 1 व 2 का 7/16 दर्ज रिकार्ड है एंव प्रार्थी क्रम 2 द्वारा क्रय की गई भूमि हिस्सा 1/16 पर नामान्तरण से रूपनारायण पुत्र नृसिंहलाल जाति धाकड़ दर्ज रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे रोटेशन जमावंदी सम्वत 2062–2065 बनाते वक्त प्रार्थी क्रम 2 रूपनारायण पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 1/16 की सहवन से जाति दर्ज रिकार्ड नही हुई है। उक्त वर्णित आराजी में सेग्रीगेशन के वक्त प्रार्थीगणो की जाति धाकड़ के स्थान पर खाती दर्ज हो गई है। जिसे प्रार्थीगणो ने शुद्ध करवाने के लिए पटवारी एंव तहसीलदार से कई बार निवेदन किया, लेकिन उन्होने उसे शुद्ध नही किया। इस कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र सम्मानीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजी की जमाबंदी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2074–2077 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 265 मे खसरा नम्बर 211 रकबा 2.4660 हैक्टयर भूमि में परमानन्द पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 7/32 जाति खाती सा. देह एंव रूपनारायण पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 9/32 जाति खाती सा. देह दर्ज है जिसके स्थान पर परमानन्द पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 7/32 जाति धाकड सा. देह एंव

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रूपनारायण पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 9/32 जाति धाकड़ सा. देह दर्ज रिकार्ड करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

सम्मन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये ~~सम्मन~~ तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट प्राप्त जो शा.मि0 है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम जेपला खाता सं. 215 सम्वत 2058–61, नकल जमाबंदी ग्राम जेपला खाता सं. 233 सम्वत 2062–65, नकल जमाबंदी ग्राम जेपला खाता सं. 252 सम्वत 2066–69, नकल जमाबंदी खाता सं. 258 ग्राम जेपला सम्वत 2070–73, नकल जमाबंदी ग्राम जेपला खाता सं. 265 सम्वत 2074–77 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड परमानन्द, फोटो प्रति आधार कार्ड रूपनारायण पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम जेपला तहसील छबड़ा में भूमि खाता संख्या 265 रकबा 2.4660 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 7/32 एवं प्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 9/32 स्थित है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के अपने हिस्से पर गत कई वर्षों से काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि की जमाबंदी सम्वत 2074–77 मे प्राथीगण की जाति खाती दर्ज है जबकि प्रार्थीगण की जाति धाकड है। पूर्व की जमाबंदी सम्वत 2058–61, सम्वत 2062–65, सम्वत 2066–69, सम्वत 2070–73 मे प्रार्थीगण की जाति धाकड दर्ज थी। जमाबंदी ऑनलाईन होने से सहवन से प्रार्थीगण की जाति धाकड के स्थान पर खाती दर्ज हो गई है। जबकि प्रार्थीगण की वास्तविक जाति धाकड है। अतः प्रार्थीगण की जाति खाती के स्थान पर धाकड दूरस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम जेपला के खसरा नं. 211 सम्वत 2074–77 की जमाबंदी मे परमानन्द एवं रूपनारायण की जाति खाती प्रदर्शित हो रही है। पूर्ववत जमाबंदी ग्राम जेपला सम्वत 2070–73 एवं नामान्तरण नं. 614 ग्राम जैपला मे प्रार्थीगण की जाति धाकड है। ग्राम वासियों ने भी इनकी जाति धाकड बताई है। प्रार्थीगण की जाति खाती के स्थान पर धाकड दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जेपला तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 265 में परमानन्द पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 7/32 जाति खाती एवं रूपनारायण पुत्र नृसिंहलाल हिस्सा 9/32 जाति खाती दर्ज है। पूर्ववत जमाबंदी ग्राम जेपला सम्वत 2058–61 खाता संख्या 215, सम्वत 2062–65 खाता संख्या 233, सम्वत 2066–69 खाता संख्या 252, सम्वत 2070–73 खाता संख्या 258 में प्रार्थीगण की जाति धाकड दर्ज है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट मे भी प्रार्थीगण की जाति धाकड होना बताया है। प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट से यह साबित है कि प्रार्थीगण की जाति पूर्ववत जमाबंदी मे धाकड दर्ज थी, जो सहवन से जमाबंदी सम्वत 2074–77 मे खाती दर्ज हो गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, प्रार्थीगण की जाति खाती के स्थान पर धाकड दूरस्त किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम जेपला तहसील छबडा के खाता संख्या 265 में प्रार्थीगण परमानन्द एवं रूपनारायण की **जाति खाती के स्थान पर धाकड** दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा